(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

अधिसूचना सं. 28/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांक: 23 सितम्बर, 2021

विषय: विनिर्दिष्ट अग्रिम और ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ाने के संबंध में।

सा.आ.(अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

2. प्रक्रिया पुस्तक के उप पैरा 4.42 (झ) के बाद निम्नलिखित उप–पैरा जोड़ा जाता है:

"4.42(ञ):

क. अग्रिम प्राधिकार पत्रों, जहां मूल अथवा विस्तारित निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि दिनांक 01.08.2020 और 31.07.2021 की अवधि के बीच समाप्त हो रही है, हेतु निर्यात दायित्व अवधि बिना किसी संयोजन शुल्क के दिनांक 31.12.2021 तक आगे बढाई जाएगी। तथापि यह बढ़ाई गई अवधि मूल/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तिथि पर शेष निर्यात दायित्व पर मूल्य के रूप में (मुक्त विदेशी मुद्रा में) 5 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात दायित्व लेने के अधीन है।

ख. इस पैरा (4.42(घ), (ड.), (च)) के अंतर्गत संयोजन शुल्क के भुगतान के साथ निर्यात दायित्व की अवधि को आगे बढ़ाने का लाभ लेने का विकल्प इन प्राधिकार–पत्रों हेतु पात्रता के अनुसार उपलब्ध रहेगा।

ग. ऐसे मामलों में, जहां अग्रिम प्राधिकार–पत्र धारक ने संयोजन शुल्क का भुगतान कर पहले ही निर्यात दायित्व अवधि को आगे बढ़वा लिया है, वहां संयोजन शुल्क का रिफंड अनुमत नहीं होगा।

3. प्रक्रिया पुस्तक के उप पैरा 5.17(ड.) के बाद निम्नलिखित उप–पैरा जोड़ा जाता है:

"5.17(च.):

क. ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों हेतु, जहां मूल अथवा विस्तारित निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि दिनांक 01.08.2020 और 31.07.2021 की अवधि के बीच समाप्त हो रही है, निर्यात दायित्व अवधि बिना किसी संयोजन शुल्क के दिनांक 31.12.2021 तक आगे बढाई जाएगी। तथापि यह बढ़ाई गई अवधि मूल/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तिथि पर शेष निर्यात दायित्व पर मूल्य के रूप में (मुक्त विदेशी मुद्रा में) 5 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात दायित्व लेने के अधीन है।

ख. इस पैरा (5.17(ग)) के अंतर्गत संयोजन शुल्क के भुगतान के साथ निर्यात दायित्व की अवधि को आगे बढ़ाने का लाभ लेने का विकल्प इन प्राधिकार–पत्रों हेतु पात्रता के अनुसार उपलब्ध रहेगा।

ग. ऐसे मामलों में, जहां ईपीसीजी प्राधिकार–पत्र धारक ने संयोजन शुल्क का भुगतान कर पहले ही निर्यात दायित्व अवधि को आगे बढ़वा लिया है, वहां संयोजन शुल्क का रिफंड अनुमत नहीं होगा।

4. सीमा शुल्क प्राधिकारी तद्नुसार निर्यात की अनुमति देंगे और उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार निर्यात दायित्व पूर्ति विवरण ईओडीसी/समापन/नियमितीकरण के समय क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जांचे/सत्यापित किए जाएंगे। प्राधिकार पत्र धारकों को इसका लाभ उठाने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी से संपर्क करने या कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।

इस अधिसूचना का प्रभावः विनिर्दिष्ट अग्रिम प्राधिकार–पत्रों और ईपीसीजी प्राधिकार–पत्रों के मामले में निर्यात दायित्व अवधि को दिनांक 31.12.2021 तक बढ़ाने का लाभ उठाने हेतु अन्य विकल्प पूर्ति किए जाने वाले शेष निर्यातों पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त निर्यात दायित्व के अधीन किसी भी संयोजन शुल्क के बिना प्रदान किया जाएगा। यह विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक में पहले से प्रदान की गई निर्यात दायित्व विस्तार सुविधा (संयोजन शुल्क के भुगतान पर) के अतिरिक्त है।

अमित यादव
23/09/2021

(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः– dgft@nic.in

(फा. सं. 01/94/180/501/एएम20/पीसी–4 से जारी)